

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 मार्च 2021— चैत्र 2, शक 1943

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-27/2021/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29—क के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर जिला—कोरिया हेतु निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचित करता है :—

अनुसूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति	08	अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति	03	भगत सिंह वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति (महिला)	18	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		10	चन्द्रशेखर वार्ड
		12	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	लोक मान्य तिलक वार्ड
		19	मदन मोहन मालवीय वार्ड
6	महिला	09	महाराणा प्रताप वार्ड
		11	मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड
		16	पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		17	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2021

क्रमांक एफ 1-27/2021/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-27/2021/18 दिनांक 22-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 22nd March 2021

NOTIFICATION

No. F 1-27/2021/18. — In exercise of the powers conferred by rule 7 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 29-A of Chhattisgarh Municipal Act 1961 (No. 37 of 1961) the state Government hereby notify the list of reserve wards of Municipal Council Baikunthpur, Distt- Koriya as per the schedule given below :-

SCHEDULE

S.No.	Category of reserve ward	Ward No.	Name of the Ward
1	Scheduled Caste	08	Ambedkar Ward
2	Scheduled Tribe	03	Bhagat Singh Ward
3	Scheduled Tribe Female	18	Rabindranath Tagore Ward
4	Other Backward Class	02	Sardar Vallabh bhai Patel Ward
		10	Chandra Shekhar Ward
		12	Subhas Chandra Bose Ward
5	Other Backward Class Female	14	Lok manya Tilak Ward
		19	Madan Mohan Malviya Ward
6	Female	09	Maharana Pratap Ward
		11	Maulana Abdul Kalam Ward
		16	Pandit Jawahar Lal Nehru Ward
		17	Shaheed Veernarayan Singh Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. R. DUBEY, Deputy Secretary.